L. A. BILL No. XXVII OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २७ सन् २०२१।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १८८८ का ३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ११ ।

(शा.म.मु.) एचबी १०९७—१ (५०——१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

(२) यह २ नवम्बर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १८८८ का ३ की धारा १५४ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १५४ की, उप-धारा (१घ) के खण्ड (क) के,— सन् १८८८ का ३।

(एक) उप-खण्ड (एक) में, " वर्ष २०२०-२१ में " शब्दों तथा अंकों के पश्चात् " तथा वर्ष २०२१-२२ " शब्द तथा अंक जोड़े जायेंगे;

(दो) उप-खंड (दो) में "वर्ष २०२०-२१ के लिए" शब्दों तथा अंकों के पश्चात् " तथा वर्ष २०२१-२२ " शब्द तथा अंक निविष्ट किए जायेंगे ;

(तीन) उप-खंड (तीन) में,—

(क) " वर्ष २०२१-२२ में " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०२२-२३ में " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) " वर्ष २०२०-२१ के लिए " शब्दों तथा अंकों के पश्चात् " तथा वर्ष २०२१-२२ " शब्द तथा अंक जोड़े जायेंगे।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

३. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो सरकार, जैसा अवसर अद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो से असंगत नहीं हो ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतोत हो :

परंन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाऐगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश उसके जारी होने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन २०२१ का महा. अध्या क्र. ११ का निरसन और व्यावृत्ति।

४. (१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन २०२१ का महा. अध्या. क्र. ११।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जाऐगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की, धारा १३९ का खण्ड (१) सम्पत्ति करों को अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा १५४, सम्पत्ति कर के लिए निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का अनुपातिक मूल्य या पूंजीगत मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा १५४ की उप-धारा (१क), तद्धीन उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त द्वारा सम्पत्ति कर के लिए निर्धारणीय किसी भवन या भूमि के पूंजीगत मूल्य का नियतन करने के लिए उपबंध करती है। उसकी उप-धारा (१ग) यह उपबंध करती है कि, उक्त उप-धारा १५४ की, उप-धारा (१क) के अधीन नियत किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य प्रत्येक पाँच वर्ष में पुनरीक्षित किया जायेगा और ऐसा पुनरीक्षण वर्ष २०२०-२१ में सम्यक् था।

२. तथापि, **कोविड-१९** महामारी का प्रादुर्भाव होने के कारण राज्य सरकार **साथ ही साथ** केंद्र सरकार द्वारा तालाबंदी की घोषणा की गई थी, परिणामस्वरुप, लघु उद्योगों, शैक्षिक संस्थाएँ, विकास कार्य, कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करनेवाले, दैनिक मजदूरों आदि पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पडा था। उसी रूप में उक्त अधिनियम की धारा १५४ में, नई उप-धारा (१घ), सन् २०२० का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ द्वारा जोड़ी गई थी, जिसकी वजह से उप-धारा (१क) के अधीन नियत किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य वर्ष २०२०-२१ में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और किसी भवन या भूमि के लिए सम्पत्ति कर बिल वही होगा जो वर्ष २०१९-२० के लिए है; और अन्य आनुषंगिक उपबंध, उक्त उप-धारा (१घ) में भी किये गए थे।

ऐसी स्थिति, **कोविड-१९** महामारी का प्रादुर्भाव होने के कारण अभी तक निरंतर है, इसलिए, उक्त धारा १५४ की, उप-धारा (१घ) में संशोधन करना इष्टकर समझा गया था ताकि यह उपबंध किया जा सकें कि, उप-धारा (१क) के अधीन नियत भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य वर्ष २०२१-२२ में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और किसी भवन या भूमि के लिए सम्पत्ति कर बिल वही होगा जो वर्ष २०१९-२० के लिए था।

३. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्या. क्र. ११) २ नवम्बर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ नवम्बर, २०२१।

एकनाथ शिंदे,
नगर विकास मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित १ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई